रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 1972/माघ 5, 1893
No. 50] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 1972/MAGHA 5, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th January 1972

S.O. 66(E)/18AA/IDRA/72(1).—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary evidence in its possession—

(i) that the industrial undertaking owned by the Netha Co-operative Spinning Mills Ltd., Hyderabad, has been closed for a period of not less than three months; and

(ii) that such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry, namely, the cotton textile-industry and that the financial condition of the said company and the condition of the plant and machinery of the undertaking of such company at Hyderabad are such that it is possible to restart the undertaking and such restarting is necessary in the interests of the general public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby authorises the National Textile Corporation (hereinafter referred to as 'the authorised person') to take over the management of the whole of the undertaking of the Netha Co-operative *Spinning Mills Ltd. Hyderabad, subject to the following* terms and conditions, namely :—

(i) the authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) the authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this order in the official gazette; and

(iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. EC-25(17)/72.]
K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1972

का० आ० 60(अ)/18 एफ०ए०/आई० डी० आर० ए०/72(1).—यतः केन्द्रीय सरकार का अपने अधिकार में अभिलेखीय साक्ष्य से समाधान हो गया है —

(1) कि नया कापरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, हैदराबाद के स्वामित्व में औद्योगिक उपक्रम तीन महीने से अन्यून समय से बंद पड़ा है ; और

(2) कि उसके इस प्रकार बंद होने से संबंधित अनुसूचित उद्योग अर्थात् सूती वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह कि उक्त समवाय की वित्तीय स्थिति तथा उस समवाय के हैदराबाद में स्थित उपक्रम के संयंत्र तथा मशीनों की दशा ऐसी है कि उपक्रम को पुनः चालू करना संभव है और उसे इस प्रकार पुनः चालू करना जनसाधारण के हित में आवश्यक है ;

अतः, अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम (जिसे एतदोपरान्त "प्राधिकृत व्यक्ति" कहा जाएगा) को नेया कापरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, हैदराबाद, नामक उपरोक्त संपूर्ण उपक्रम का प्रबंध अपने अधिकार में लेने के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए सभी निदेशों का पालन करेगा ;

(2) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करेगा ; और

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझेगी, तो उससे पूर्व भी इस प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति को समाप्त कर सकती है ।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से आरम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[सं० एफ० पी० ई० सी० 25-(17)/72]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972